बिहार सरकार गामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-106/2020 - 2879

/पटना, दिनांक-**24/8/202**0

प्रेषक.

संजय दूबे भा० प्र० से० अपर सचिव।

सेवा में.

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना।

योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास–राज्य विषय:--योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, हिलसा के अधीन इस्लामपुर प्रखंड के मोहनचक नहर से बांघ रसलपुर पूर्वी टोला तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.26 कि0 मी0 निर्माण हेतु रू० 95.564 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 10.650 लाख अर्थात कुल राशि 106.214 लाख (एक करोड़ छः लाख एक्कीस हजार चार सौ रूपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय— 103–ग्राम विकास–राज्य योजना–उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य के नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, हिलसा के अधीन इस्लामपुर प्रखंड के मोहनचक नहर से बांघ रसलपुर पूर्वी टोला तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.26 कि0 मी0 निर्माण हेतु रू0 95.564 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 10.650 लाख अर्थात कुल राशि 106.214 लाख (एक करोड़ छः लाख एक्कीस हजार चार सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।

3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली

4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड— 37—4515001030105 है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास–राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।

6. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, नालंदा एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।

8. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0— मु0 अ0—4 (मु0) रा0 यो0-03-106/2020 के पृ0 सं0-03/टि0 पर दिनांक 08.07.2020 को किया गया।

9. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सचिका सं0-मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0 03-106/2020 के पृ0 सं0-05/टि0 पर प्राप्त है।

10. ब्रांडा के निर्धारित प्रावधान / प्रकिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी। 24/8/1070

11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टिताओं / विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या—3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित नियमावली के सुंसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0 03-106/2020 के पृ0

सं0- 8 / टि० पर दिनांक 12 . 8 . २०२० को प्राप्त है।

14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित

16. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवतापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उतरदायी माने जायेंगे।

17. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड

को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

(संजयं दुबे) अपर सचिव

/पटना, दिनांक-**24/8/2020** ज्ञापांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-106/2020 - 2879 प्रतिलिपि— महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-**24/8/202**0 - मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-106/2020 *-2*879 प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-**24/8/2०२०** ज्ञापांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-106/2020 - 2879 /पटना, दिनांक-24/8 प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (आय—व्यय शाखा) / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / जिला पदाधिकारी, नालंदा / उप विकास, आयुक्त नालंदा / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग / सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ब्राडा / मुख्य अभियंता—1, पटना ग्रा० का० वि० / मु० अ०--४ (मुख्यालय) ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, नालंदा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, हिलसा / मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड; बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पॉचवीं मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई० टी० मैनेजर, ग्रा० का० वि० को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।